परिशिष्ट "अ"

127

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7– 72/2011/32–1 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2011

प्रति,

1– अध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
मध्यप्रदेश.

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
मध्यप्रदेश.

विषयः– प्राधिकरणों में उच्च पदों पर प्रभार सौंपे जाने संबंधी दिशा–निर्देश।

––

अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं अन्य पदों का प्रभार निम्न पदों पर पदस्थ अधिकारियों को सौंपे जाने हेतु प्राधिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। उच्च पदों का चालू प्रभार देने को यथासंभव हतोत्साहित कर नियमित पदों की शीघ्र पूर्ति करना चाहिए तथापि कई प्रकरणों में यदि पद रिक्त रहना संभावित है तो उच्च पद का चालू प्रभार देना पड़ता है।

2/ उच्च पदों का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती हैः–

(1) उच्च पद का प्रभार संवर्ग में पदक्रम सूची के आधार पर, प्राधिकरण में कार्यरत निम्न पद के अधिकारियों में से, सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जावेगा। कार्यभार सौंपने हेतु प्राधिकारी के संकल्प उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदेश जारी कर सकेंगे।

(2) उच्च पदों का प्रभार दिये जाने की अवधि सामान्यतः दो वर्ष के लिए होना चाहिए। इस अवधि में पद भरने के प्रयास करने चाहिए।

(3) उच्च पद का स्वतंत्र प्रभार दिये जाने के फलस्वरूप अधिकारी से मूल पद का कार्य नही लिया जायेगा। इसके लिए कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा। अपवादस्वरूप असामान्य स्थितियों में जैसे एक ही पद हो जो रिक्त हो अथवा उच्च पद के समस्त पद रिक्त हो तभी निम्न पद के साथ साथ उच्च पद का भी प्रभार सौंपा जा सकेगा। तब ऐसी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित वित्तीय लाभ देय होगा।

(4) प्रभार सौंपे जाने हेतु अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच अथवा लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. में जांच प्रचलित न हो।

(आशीष सक्सेना)

2/

143 ③

...क एफ 7- 72 / 2019/32-1 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2011

...लिपि:-

1. विशेष सहायक, मा.मंत्री जी. जल संसाधन एवं पर्यावरण विभाग.
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव,आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग